Monitoring of Smoke Free Law in Jaipur city
Organized by CUTS with Department of Health & Family Welfare, Government of Rajasthan
On July 03, 2009

Introduction

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CUTS CART) is consistently doing advocacy with the Government to effectively implement the smoke free laws in the state. As an impact of this strong advocacy, Department of Health & Family Welfare, Government of Rajasthan has formed an inspection committee to monitor the implementation of tobacco control laws in Jaipur city. CUTS CART is also included in the committee as a representative of civil society organization.

Objectives

The Committee will visit randomly to different part of city to observe the implementation of Tobacco Control Law and for enforcement of various provisions under the rule like ban on smoking at public place, ban of tobacco sale near educational institutions, pictorial warnings on tobacco products etc. The committee is included officer of Joint Director level.

Proceedings

CUTS CART took the initiative and conducted first monitoring visit on July 03, 2009 in Jaipur city. Dr. P. C. Santhiya, Joint Director, Dr. B. N. Sharma, Medical Officer and C. P. Sharma, Programme Assistant from Tobacco control Cell, Department of Health & Family Welfare were involve in the monitoring visits along with members of CUTS CART. The team visited total sixteen government departments in Jaipur city.

During the inspection, committee observed that specified signboards of ‘No smoking’ were not in place. Few found in place were not according to the norms of the rule. According to rule size of signboards should be 60 cm x 30 cm. Few people were found smoking inside the government buildings that were given warning to abstain in future. Copy of instructions, sample signboards and some other information material were distributed to the head of departments to display them in their offices and ensure the compliance regularly.

Outcomes

1. Visits were helpful to understand the real picture of implementation of law by the enforcement officials.
2. The print media covered visit, which was helpful to draw the attention of other to follow the rule.
3. Inspection visit created fear in concern authorities to implement the law effective and properly.
4. Knowledge of concern authorities increased more about the issue, which is helpful to make them more sensitive.

Media

जयपुर
रविवार, 5 जुलाई 2009

दैनिक नवज्योति

धूम्रपान निषेध के लिए मॉनिटरिंग कमेटी

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 4 जुलाई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तम्बाकू निरोधक प्रकोष्ठ की ओर से तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना के लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी (तम्बाकू नियंत्रण कमेटी) का गठन किया गया हैं। जिसमें संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों सहित कट्स कार्ट को स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। कमेटी मुख्य रूप से शहर में तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना के लिए लगातार निरीक्षण करेगी। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थाओं के पास तम्बाकू बिक्री पर रोक एवं तम्बाकू उत्पादों पर चित्रित चेतावनी जैसे नियमों की पालना के लिए कार्रवाई करेगी। कमेटी ने शुक्रवार को कई सरकारी विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि अधिकतर सरकारी विभागों में धूम्रपान निषेध के निर्दिष्ट बोर्ड नहीं लगे है। कुछ स्थानों पर लगे हैं, पर वे निर्देशित आकार के अनुरुप नहीं है।

कई विभागों में कर्मचारी खुलेआम धूम्रपान करते नजर आए। इस अवसर पर कमेटी की ओर से विभागों के प्रभारियों को धूम्रपान निषेध को लागू करने के लिए निर्देशों की कॉपी और बोर्ड की सेम्पल कॉपियां बांटी गई।

समाचार जगत, जयपुर, 5 जुलाई, 2009

तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना के लिए मॉनीटरिंग कमेटी का गठन

जयपुर, (का.सं.)। शुक्रवार को जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी विभागों का तंबाकू नियंत्रण कमेटी ने निरीक्षण किया एवं स्थिति का जायजा लिया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तम्बाकू निरोधक प्रकोष्ठ ने जयपुर शहर में तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना के लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया है जिसमें संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों सहित 'कट्स कार्ट' को स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी मुख्य रूप से शहर में तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना के लिए लगातार निरीक्षण करेगी जिसमें वह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थाओं के पास तम्बाकू बिक्री पर रोक एवं तम्बाकू उत्पादों पर चित्रित चेतावनी जैसे नियमों की पालना के लिए कार्रवाई करेगी।

राष्ट्रदूत जयपुर, 5 जुलाई 2009

तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना हेतु निरीक्षक

जयपुर। शुक्रवार को जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी विभागों का तम्बाकू नियंत्रण कमेटी ने निरीक्षण किया एवं स्थिति का जायजा लिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तम्बाकू निरोधक प्रकोष्ठ ने जयपुर शहर में तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना हेतु एक मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया है जिसमें संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों सहित कट्स कार्ट को स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रुप में कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी मुख्य रुप से शहर में तम्बाकू नियंत्रण कानून की पालना हेतु लगातार निरीक्षण करेगी जिसमें वह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थाओं के पास तम्बाकू बिक्री पर रोक एवं तम्बाकू उत्पादों पर चित्रितत चेतावनी जैसे नियमों की पालना हेतु कार्यवाही करेगी।

पंजाब केसरी
जयपुर

स्थानीय
5 जुलाई, 2009
रविवार

कानून की पालना के लिए कमेटी गठित

जयपुर, (कमल शर्मा): चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तंबाकू निरोधक प्रकोष्ठ ने जयपुर शहर में तंबाकू नियंत्रण कानून की पालना के लिए एक मानीटरिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों सहित 'कट्स कार्ट' संस्था को स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। कमेटी मुख्य रूप से शहर में तंबाकू नियंत्रण कानून की पालना के लिए लगातार निरीक्षण करेगी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, शैक्षणिक संस्थाओं के पास तंबाकू बिक्री पर रोक एवं तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी जैसे नियमों की पालना के लिए कार्रवाई की जाएगी। कमेटी द्वारा नियमित रूप से विभिन्न स्थानों के दौरे किए जाएंगे। सरकारी विभागों के अलावा अब शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास, होटल, रेस्टोरेंट, निजी कार्यालयों, अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के दौरे भी किए जाएंगे।